प्रेस विज्ञप्ति

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर में स्थित साईकिल स्टैण्ड, जलपान गृह एवं तीन दुकानों (फोटो कापी, लेखन सामग्री व कम्प्यूटर टाईपिंग व्यवसाय हेतु) को ठेके पर उठाया जाना है। जिसके सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्तियों से सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उपरोक्त साईकिल स्टैण्ड, जलपान गृह एवं तीन दुकानों (फोटो कापी, लेखन सामग्री व कम्प्यूटर टाईपिंग व्यवसाय हेतु) को ठेके पर उठाने की प्रकिया में निविदा की शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त पात्र व्यक्ति सील बन्द निविदा के माध्यम से नियमानुसार भाग ले सकते हैं। सील बन्द निविदायें केन्द्रीय नजारत में दाखिल करने की अन्तिम तिथि **25.03.2022** तथा सील बन्द निविदाओं को समित के अध्यक्ष, सदस्यों व निविदादाताओं के समक्ष दिनांक **28.03.2022** को सायंकाल **04.00** बजे केन्द्रीय नजारत, दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात में खोला जायेगा। निविदा की शर्तो को केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कानपुर देहात के कार्यालय एवं नजारत की सूचना पट से किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10.00 से 5.00 बजे तक अवलोकित कर सकते हैं।

इसके साथ ही निविदा की सूचना तथा शर्ते जनपद न्यायालय, कानपुर देहात के बेवसाइट -https://districts.ecourts.gov.in/kanpurdehat पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से,

Sudhakar Pal
14.3.22

अध्यक्ष
नीलामी समिति/अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 03/विशेष न्यायाधीश (डकैती),
कानपुर देहात।
14.03.2022

<u>निविदा सूचना</u>

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात परिसर स्थित माती के दक्षिण-पश्चिम कोने की ओर स्थित साईकिल स्टैण्ड, जलपान गृह, एवं तीन दुकानों (फोटोकापी, लेखन सामग्री व कम्प्यूटर टाइपिंग व्यवसाय हेतु) के नीलामी/निविदा हेतु प्रक्रिया वित्तीय वर्ष **2022-23** हेतु सम्पन्न की जानी है। निविदादाता दिनांक **25.03.2022** तक नियमानुसार अपनी निविदायें केन्द्रीय नजारत में जमा कर सकेंगे तथा नीलामी/निविदा प्रकिया दिनांक **28.03.2022** को समय 04.00 बजे दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के केन्द्रीय नजारत के समक्ष की जायेगी।

निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यवित उपरोक्त 1. साईकिल स्टैण्ड, 2. जलपान गृह, 3. लेखन सामग्री, 4. फाटो कापी, 5. कम्प्यूटर टाइपिंग दुकान की स्थिति एवं क्षेत्रफल का निरीक्षण कर सील बन्द निविदा प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं -

<u>निविदा की शर्ते व नियम</u>

1. ठेके पर देने की प्रकिया में भाग लेने के पूर्व सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना हैसियत प्रमाण पत्र केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात को प्रस्तुत करना होगा।

2. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित साईकिल स्टैण्ड, जलपाान गृह, लेखन सामग्री, फोटोकापी एवं कम्प्यूटर टाइपिंग दुकान का उपयोग केवल उपरोक्त के लिए किया जायेगा। किसी अन्य कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।

3. दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात के परिसर स्थित साईकिल स्टैण्ड, जलपाान गृह, लेखन सामग्री, फोटोकापी एवं कम्प्यूटर टाइपिंग दुकान को ठेके पर उठाने की प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित के सम्मुख अंकित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा, जो श्रीमान जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात के नाम देय होगा।

क. साईकिल स्टैण्ड - सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0 30,000/-

ख. जलपान गृह - सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0 20,000/-

ग. लेखन सामग्री दुकान- सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0 10,000/-

घ. फोटोकापी दुकान- सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0 10,000/-

ड•. कम्प्यूटर टाईपिंग दुकान - सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय अग्रिम धनराशि रू0 10,000/-

4. निविदा के साथ उपरोक्त धनराशि की डी0 डी0 जमा करनी होगी। डी0 डी0 न होने पर निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो तथा उसका कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात में लम्बित नहीं होना चाहिए। इस बावत अपना नोटरी शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

6. स्वीकृत निविदा के उपरान्त निविदादाता को उक्त राशि का चौथाई तुरन्त जमा करना होगा और शेष धनराशि दिनांक **31.03.2022** तक जमा करना होगा। डी0 डी0 की धनराशि कुल राशि में समायोजित की जाएगी।

7. स्वीकृति के उपरान्त भागीदारी जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत ठेके की 1/4 धनराशि तुरन्त एकमुश्त जमा नहीं करने पर उसकी डी0डी0 की राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वत: जब्त समझी जायेगी।

8. ठेके की अन्तिम स्वीकृति श्रीमान जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात महोदय द्वारा की जायेगी।

9. निविदा प्रकिया बिना कोई कारण बताये स्थगित य अस्वीकृत माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा की जा सकती है।

10. उपरोक्त दुकानों के उपयोग की अवधि दिनांक **31.03.2023** को स्वत: समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा दुकान का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर दीवानी न्यायालय, कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक **14.03.2022** को समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(अभिषेक कुमार चतुर्वेदी)
सदस्य
अपर जिला जज / एफ0टी0सी0
(महिला उत्पीड़न)
कानपुर देहात।
14.03.2022

(शिवा नन्द)
सदस्य
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कानपुर देहात।
14.03.2022

(सुधाकर राय)
अध्यक्ष
अपर जिला जज कोर्ट सं0-3 /
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
कानपुर देहात।
14.03.2022